



स्वामी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण से।  
। लगायत 6 को पाबन्द करावे। वादी  
ने अपने वाद के समर्थन में शपथ-  
पत्र, मकूल जमाबन्दी प्रदर्श-1 पेश की।  
प्रतिवादीगण बावपूर सूचना के उपस्थित  
नहीं होने से इनके विरुद्ध एकतरफा  
कार्यवाही की गई। हमने वादपत्र,  
शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का  
अवलोकन किया। वकील वादी की  
बहस पर मनन किया। वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता न्यायोचित प्रती  
छेता है अतः वादी का वाद स्वीकार  
किया जाता है ग्राम ग्रण्डेडा परिवार  
हल्का सादेशा तहसील नैबवां जिला-  
बून्दी की जमाबन्दी सं. 179 सम्बत्  
2072 से 2075 श्रमि गैर मुमकिन  
चाह सं. 788 रुबवा 08 बिस्वा पर  
लगे शामिलती इंजिन से वादी की अके  
हिस्से अनुसार अपनी श्रमि खसरा सं.  
789 रुबवा 5 बीघा 10 बिस्वा में से वादी  
के हिस्से को सिंचित करने में कोई  
बाधा उत्पन्न न हो स्वयं करे और न  
ऐसा किसी अन्य से करावे, इस आशय  
की स्वामी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगण  
संख्या 1 लगायत 6 को पाबन्द किया जाता  
है डिफ्टी पन्चा जारी हो। निर्णय खुले  
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली  
वाद तस्मील दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
नैबवां (बून्दी)